# राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ

(भारत सरकार का उपक्रम वस्त्र मंत्रालय)

## नागरिक घोषणा-पत्र

## हम बुनकरों के सपनों को साकार करते हैं।

**हमारे लक्ष्य :-**

i) वांछित गुणवत्ता के निवेश जैसे सूत (सूती, रेशमी, ऊनी, जूट, लिनेन व रेयान इत्यादि) तथा रंगों व रसायनों की अधिकतम उचित मूल्यों पर उपलब्धता सुनिश्चित करना।

ii) हथकरघा संस्थाओं/हथकरघा बुनकरों शीर्ष निकायों/बुनकर सहकारियों एच.ई.पी.सी.सदस्यों / हथकरघा बुनकर समितियों के विपणन प्रयासो में सहयोग करना तथा देशी व विदेशी बाजार में हथकरघा उत्पादों की भागीदारी बढ़ाने में उनकी सहायता करना।

iii) हथकरघा क्षेत्र को उन्नतिशील बनाने तथा उसमें निरन्तर गुणात्मक सुधार लाने के लिए, सुग्राहिकता कार्यक्रमों तथा रंगाई प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे विकासात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी उन्नयन व उत्पादकता में बृद्धि करना।

**हमारा उद्देश्य :-**

- हथकरघा क्षेत्र की उन्नति व विकास हेतु राष्ट्रीय स्तर की संस्था की भॉति सेवाऐं प्रदान करते हुए स्वंय को एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में स्थापित करना।
- कार्य संचालन की दृष्टि से उपयोगी बने रहने हेतु प्रयास करते रहना।
- हथकरघा क्षेत्र की उन्नति के मार्ग की बाधाओं को दूर करने में सहायता करना।
- हथकरघा क्षेत्र में प्रमुख विकासात्मक संस्था के रूप में अपनी पहचान बनाना तथा सरकारी/अन्य संस्थाओं के सहयोग से हथकरघा सम्बन्धित कार्यकलापों को कार्यान्वित करना।

**हमारी मान्यताऐं:-**

- ग्राहकों के साथ व्यापार में सत्यनिष्ठा,निश्पक्षता,पारदर्शिता तत्परता तथा समझदारी रखना।
- संसाधनों के इष्टतम उपभोग तथा आधुनिक तकनीक व प्रबन्धन के विनिधान द्वारा हथकरघा संगठनों/शीर्ष निकायों/ सहकारी समितियों/ बुनकरों इत्यादि को तकनीकी जानकारी सहित चतुर्मुखी सहयोग/ सेवायें प्रदान करना।

**हमारी प्रतिबद्धता :-**

- हथकरघा बुनकरों के समग्र हितों का ध्यान रखना।

- हथकरघा बुनकरों को अधिकतम उचित दरों पर अच्छी गुणवत्ता का कच्चा माल जैसे कि सूत, रंग तथा रंसायन तथा अन्य निवेशों को उपलब्ध कराने में सहायता करना व इसके लिए सरल प्रक्रिया को विकसित करने हेतु निरन्तर प्रयास करना।
- यथार्थता, व निरन्तरता के साथ समयबद्ध व परिणामोन्मुख कार्य शैली।
- हथकरघा क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास तथा वृद्धि में सक्रिय भूमिका निभाना।



- हथकरघा उत्पादों हेतु बेहतर विपणन सुअवसर जुटाना।
- व्यापार कार्य सम्पादन को सुगम तथा बेहतर बनाने हेतु एवं सूचनाओं के त्वरित संचार के लिए विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क (वान) से अपने सभी संचालन केन्द्रों को सम्बद्ध करना तथा सूचना प्रौद्यौगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देना।
- समुचित प्रौद्यौगिकी के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु गुणवत्ता संस्कृति को तैयार करने में सहयोग देना।
- हथकरघा क्षेत्र को अच्छी सुविधायें/नीतियों/कार्यक्रमों को दिलाने हेतु सरकार/अन्य एजेन्सियों से सम्पर्क करना तथा इसकी आवश्यकता को लगातार सामने लाना।

**<u>उपभोक्ता समूह को दी जाने वाली सेवाऐं तथा कार्यक्षेत्र :-</u>**

राहविनि.राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/प्राथमिक स्तर पर राज्य हथकरघा समितियों/ शीर्ष निकायों, बुनकर सहकारिताओं हथकरघा बुनकरों, हथकरघा विकास केन्द्रों एच.ई.पी.सी. के साथ पंजीकृत हथकरघा उत्पादकों/ निर्यातकों/निर्माताओं/वस्त्र मंत्रालय/ उद्योग निदेशक/ राज्य हथकरघा/ संघ शासित प्रदेश के अन्तर्गत अन्य कोई निर्यात संवर्धन परिषद की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसके अतिरिक्त यह निम्न को भी सेवायें प्रदान करता है:-

- हथकरघा उत्पादन में संलग्न सभी अनुमोदित स्टार व्यापारिक केन्द्र, व्यापारिक केन्द्र एवं निर्यात केन्द्र।
- हथकरघा संघों के अनुमोदित/मान्यता प्राप्त सदस्य।
- कपार्ट के मानकों को पूर्ण करने वाले गैर कार्यकारी संगठन (एन.जी.ओ.)
- स्वयं सहायता समूह/संयुक्त उत्तरदायी समूह, बुनकर उद्यमी, वैयक्तिक हथकरघा बुनकर।
- ग्रामीण अंचलो, कस्बों तथा नगरीय क्षेत्र में स्थित कोई अन्य संस्था जो हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदित हो, को अपने क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों के माध्यम से सेवाऐं उपलब्ध कराना।

**<u>हमारे केन्द्र विन्दु :-</u>**

- राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड का नैगमिक कार्यालय/मुख्यालय, दसवां तथा ग्यारवॉ तल, विकास दीप भवन, 22- स्टेशन रोड, लखनऊ- 226001 (उ.प्र.) में स्थित है।
- निगम के पास 200 कर्मचारियों की संतुलित जनशक्ति है जो कि सम्पूर्ण देश में फैले हुये हैं।
- राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियों का प्रबन्ध 06 (छः) क्षेत्रीय कार्यालयों, 02 (दो) जोनल कार्यालयों तथा 33 (तैंतिस) शाखा कार्यालयों की सहायता से किया जाता है। विवरण अनुलग्नक 'अ' पर दिया गया है।
- हमारा प्रत्येक क्षेत्रीय, जोनल तथा शाखा कार्यालय बुनकर समुदाय की सहायता हेतु समर्पित है तथा इन कार्यालयों में तैनात कर्मचारी उस क्षेत्र के बुनकर समुदाय के लगातार सम्पर्क में रहते हैं तथा उन्हें उचित दरों पर अच्छी गुणवत्ता का निवेश उपलब्ध कराने का प्रयत्न करते हैं।



**<u>हमारी गतिविधियॉ</u>** :-

- हम हथकरघा बुनकरों को कच्चा माल जैसे कि सूत, रंग तथा रसायन तथा अन्य निवेशों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं।
- हथकरघा उत्पादों के विपणन हेतु आधारभूत संरचना तैयार करना तथा समुचित प्रौद्यौगिकी के विकास में सहयोग करना।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करना जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित सम्मिलित है:-

i) हथकरघा क्षेत्र के बुनकर समुदाय को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने हेतु समुचित प्रौद्यौगिकी तथा रंग रसायन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन/व्यवस्था करना।

ii) सुग्राहिकता कार्यक्रम आयोजित कर हथकरघा क्षेत्र तथा इसके व्यवसाय में संलग्न समुदाय के उन्नयन हेतु भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही लाभकारी योजनाओं के बारे में बुनकर तथा समितियों के सदस्यों को अवगत कराना।

- विपणन केन्द्रों को स्थापित करके आधारभूत सरंचना उपलब्ध कराना जिसके पीछे अवधारणा यह है कि विभिन्न राज्यों में निर्मित विविध प्रकार के हथकरघा वस्त्रों को एक ही स्थान पर क्रय किया जा सके। निगम द्वारा सफलतापूर्वक इन्हें निम्न स्थानों पर चलाया जा रहा है।

1. जयपुर (राजस्थान)
2. कोलकाता (पश्चित बंगाल)
3. अहमदाबाद (गुजरात)
4. हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)

5. इंदौर (मध्य प्रदेश)
6. कानपुर (उत्तर प्रदेश)
7. नवी गुम्बई (महाराष्ट्र)
8. नई दिल्ली

'सिल्क फैब' व 'वूल फैव' के माध्यम से विपणन के अवसरों की तलाश। निगम प्रत्येक वर्ष हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय के सहयोग से 'सिल्क फैब' तथा 'वूल फैब' आयोजित करता है।

**निवेश सम्बन्धित योजनाऐं:**

- वर्तमान में भारत सरकार की मिलगेट मूल्य योजना (एम जी पी एस) के माध्यम से हथकरघा बुनकरों को मिलगेट मूल्यों पर सूत उपलब्ध कराया जा रहा है। एम जी पी एस से निम्नलिखित लाभ उपलब्ध हो रहे है।



1- हथकरघा बुनकरों को मिलगेट मूल्यों पर सूत आपूर्ति को सुनिश्चित कराने हेतु मिलगेट मूल्य योजना (एम जी पी एस) को वर्ष 1992 में प्रारम्भ किया गया था।

2- योजना के अन्तर्गत पात्र संस्थाओं को राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा परिवहन खर्चों तथा डिपो संचालन अधिभारों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

3- राष्ट्रीय/प्रान्तीय/क्षेत्रीय/प्राथमिक स्तर के हथकरघा संस्थान हथकरघा विकास केन्द्र, हथकरघा उत्पादक/निर्यातक, अनुमोदित निर्यातगृह, / आई.एच.डी.एस के अन्तर्गत उत्पादक कम्पनियां, अनुमोदित हथकरघा एसौसिएशन के सदस्य, कपार्ट के मानकों को पूर्ण करने वाले गैर कार्यकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह /जे एल जी, बुनकर उद्यमी, वैयक्तिक बुनकर, तथा विकास आयुक्त हथकरघा द्वारा अनुमोदित कोई अन्य संस्था आदि इस हेतु पात्र संस्थायें हैं।

4- भाड़ा प्रतिपूर्ति की दरें तथा डिपो संचालन खर्चे निम्नलिखित हैं।

(अ)**<u>सूत हेतु भाड़ा प्रतिपूर्ति</u>** :-

| सूत का प्रकार | मैदानी क्षेत्रों में पात्र संस्थाओं को अधिकतम भाड़ा प्रतिपूर्ति | सूदूरवर्ती तथा पहाडी क्षेत्रों में पात्र संस्थाओं को अधिकतम भाड़ा प्रतिपूर्ति | उत्तर पूर्व क्षेत्रों में पात्र संस्थाओं को अधिकतम भाड़ा प्रतिपूर्ति |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| रेशम तथा जूट सूत के अतिरिक्त | 2.5 % | 2.50 % | 5.0 % |
| रेशम सूत | 1.0 % | 1.25 % | 1.5 % |
| जूट सूत | 10.0% | 10.00 % | 10.0 % |

**(ब) डिपो अधिभार** :- पात्र संस्थाओं हेतु डिपो संचालन खर्च 2.5% है।

**लच्छी सूत पर 10 % मूल्य छूट** :-

मिलगेट मूल्य योजना (एम जी पी एस) के अन्तर्गत 06 जनवरी 2012 को यह छूट योजना प्रारम्भ की गयी। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को छूट उपलब्ध करायी जायेगी। सभी पात्र संस्थाओं तथा बुनकरों को सूत पासबुक निर्गत की जायेंगी। योजना के अन्तर्गत सूत के प्रकार तथा स्वीकृत मात्रा को निम्नलिखित रूप में तालिकाबद्ध किया गया है।

| सूत का प्रकार | पात्र मात्रा |
|---|---|
| सूत (40 एस काउन्ट के नीचे) | 30 किग्रा0/ करघा/ माह |
| सूत (40 एस काउन्ट के ऊपर) | 10 किग्रा0/ करघा/ माह |
| रेशम सूत | 4 क्रिग्रा0/करघा/ माह |



**हमारे निष्पादन का तल चिन्ह (बेन्चमार्क)**

निगम की अपनी स्वयं की निष्पादन मूल्यॉकन पद्धति है जो कि समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत परिभाषित है। सरकार की योजनाओं तथा कार्यक्रमों, नीतियों के प्रचार हेतु वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार तथा राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के मध्य हस्ताक्षर किये जाते हैं। निगम द्वारा 1992-93 से वस्त्र मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं।

**परिवाद तथा शिकायतें:-**

निगम की अपनी सुस्पष्ट शिकायत निवारण प्रक्रिया है।

- लोक शिकायतों को प्रथमत: क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर निस्तारित किया जाता है तदोपरान्त मुख्यालय स्तर पर निगम के शिकायत निवारण अधिकारी को अग्रसारित किया जाता है।
- स्टाफ/कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण प्रथमत: इस कार्य हेतु गठित समिति द्वारा किया जाता है। उक्त समिति के प्रतिवेदन व सिफारिशें मुख्य प्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन) जो कि स्टाफ शिकायत निवारण अधिकारी के पद पर

नामित है को अग्रसारित की जाती हैं, जो अपने निष्कर्षों सहित मामले को, अंतिम निर्णय हेतु प्रबन्ध निदेशक को अग्रसारित करते हैं।

**<u>प्रतिपुष्टि/ सुझाव की व्यवस्था</u>** :-

निगम की अपनी सुझाव योजना तथा व्हिसिल ब्लोअर नीति बनी हुयी है जहॉ कार्य संस्कृति तथा कार्यदक्षता में बृद्धि हेतु कर्मचारियों के बहुमूल्य सुझाव प्राप्त किए जाते हैं। यह योजनायें संगठन में सहभागिता और पारदर्शिता की संस्कृति तैयार करने के उद्देश्य से बनाई गयी है।हम क्षमता दुर्वलता अवसर और चुनौतियों (SWOT) के विश्लेषण के लिए बाहरी संस्थाओं से भी सर्वेक्षण कराते हैं तथा कर्मचारियों की बेहतरी तथा बुनकर समुदाय व हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों की उन्नति के लिए उनके सुझावों को (यदि आवश्यक/व्यवहारिक है) को लागू भी करते हैं।

**<u>मार्ग दर्शन व सहायता</u>** :-

- निगम का मुख्यालय : 10 वाँ तथा 11 वाँ तल, 'विकासदीप' भवन, 22 - स्टेशन रोड, लखनऊ – 226001, (उ.प्र.) में स्थित है।

- सम्पर्क हेतु :- (ई.पी.बी.एक्स) 0522 – 2635133, 2635287
  फैक्स : 0522 - 2635282
- वैश्विक सम्पर्क हेतु :- ई-मेल: honhdc@nhdc.ltd.co.in
  वेबसाइट : www.nhdc.ltd.co.in